अप्रकाशित मतदाता सूची
के बारे में
आपके जानने योग्य जरूरी बातें

इन मतदाता नामांकन प्रश्नों के उत्तर भीतर

भूमिका

अप्रकाशित सूची क्या होती है?
अप्रकाशित सूची को कौन देख सकता है?

अप्रकाशित सूची में जाने के लिए आवेदन

अप्रकाशित सूची के योग्य कौन होता है?
अप्रकाशित सूची में जाने के लिए मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
मुझे क्या जानकारी देने की जरूरत होगी?
मैं अप्रकाशित सूची में कितने समय के लिए रहता/रहती हूँ?
अगर मेरे हालात बदल जाते हैं तो?
अगर मेरा निजी ब्यौरा बदल जाता है तो?

मतदान

अगर प्रकाशित सूची में मेरा नाम नहीं है तो मैं मतदान कैसे कर सकता/सकती हूँ?

अधिक जानकारी

मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
मैं अन्य भाषाओं में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

न्यूज़ीलैंड के संसदीय चुनावों में वोट डालने के लिए आपका नामांकित होना जरूरी है।

न्यूज़ीलैंड में कम से कम हर तीन साल में एक बार संसद और सरकार का चुनाव करने के लिए आम चुनाव होते हैं। इसमें जनरल (सामान्य) और माओरी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए हर नामांकित व्यक्ति की एक सूची, या एक लिस्ट होती है। अगर आप 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं और नामांकन के योग्य हैं तो कानून कहता है कि आपका नाम सूची में जरूर होना चाहिए। अगर आपकी आयु 17 साल है तो आप प्रोविज़नल (अस्थायी) रूप से नाम दाखिल करवा सकते हैं। एक बार नामांकन करवा लेने के बाद यह जरूरी है कि आप अपने ब्यौरे को अप टू डेट (नवीनतम) रखें। रजिस्ट्रार्स ऑफ इलेक्टॉर्स (निर्वाचक पंजीयक), जो न्यूज़ीलैंड पोस्ट लिमिटिड के लिए काम करते हैं, इस सूची की देखरेख करते हैं।

भूमिका

अप्रकाशित सूची क्या होती है?

अप्रकाशित सूची में उन सारे निर्वाचकों के नामांकन फार्म होते हैं जिन्होंने चीफ रजिस्ट्रार ऑफ इलेक्टोर्स (निर्वाचकों के मुख्य पंजीयक) को संतुष्ट कर दिया है कि उनके निजी नामांकन ब्यौरे को गोपनीय रखना जरूरी है क्योंकि इसके प्रकाशन से उनकी निजी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उनके नामांकन ब्यौरे को उनके निर्वाचकों के रजिस्ट्रार द्वारा सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है तथा किसी को भी जारी नहीं किया जाता। यह प्रकाशित सूची में नहीं दिखाई देता।

अप्रकाशित सूची को कौन देख सकता है?

अप्रकाशित सूची गोपनीय होती है और इसे केवल निर्वाचक रजिस्ट्रार द्वारा ही देखा जा सकता है।

अप्रकाशित सूची में जाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं?

अप्रकाशित सूची के लिए कौन योग्य होता है?

आप अगर एक योग्य निर्वाचक हैं और आपको विश्वास है कि आपके ब्यौरे को प्रकाशित निर्वाचक सूची में रिकार्ड करने से आपकी निजी सुरक्षा या आपके परिवार की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं कि आपके ब्यौरे को केवल अप्रकाशित सूची में ही शामिल किया जाए।

अप्रकाशित सूची पर जाने के लिए मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

इस पुस्तिका के पीछे दिए गए 'अप्रकाशित सूची में संसदीय निर्वाचक के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र' को भरें। आपका नाम अगर पहले से ही निर्वाचक के रूप में नामांकित है तो आपको 'वोट डालने के लिएः आवेदन' नामक एक नामांकन फार्म भी भरना पड़ेगा। यह फार्म केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है।

दोनों फार्मों को निम्नलिखित को पोस्ट करना जरूरी है (डाक टिकट लगाना जरूरी नहीं)ः

FREEPOST 2 ENROL
Chief Registrar of Electors
P O Box 190, Wellington 6140

मुझे क्या जानकारी देने की जरूरत है?

आपको अपना पूरा नाम, पता, जन्म-तिथि, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर और अपनी निजी परिस्थितियों का सबूत पेश करना पड़ेगा, जैसे किः

- पारिवारिक हिंसा अधिनियम **1995** के अन्तर्गत जारी प्रोटैक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश) की प्रति, या
- उत्पीड़न अधिनियम **1997** के अन्तर्गत लागू रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर (निरोधक आदेश) की एक प्रति, या
- एक कांस्टेबल द्वारा की गई वैधानिक घोषणा जिसमें उसका विश्वास है कि आपके नाम और ब्यौरे के प्रकाशन से आपकी निजी या आपके परिवारों की सुरक्षा पूर्वाग्रह ग्रस्त हो सकती है, या

- बैरिस्टर या सोलिसिटर से, आपके नियोक्ता, एक जस्टिस ऑफ पीस, या अन्य किसी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें इस आधार पर आपके आवेदन का समर्थन किया गया है कि आपके नाम और ब्यौरे के प्रकाशन से आपकी निजी सुरक्षा, या आपके परिवारों की सुरक्षा पूर्वाग्रह ग्रस्त (हानि पहुँच) हो सकती है।

मैं अप्रकाशित सूची पर कितने समय तक रह सकता/सकती हूँ?

आप अप्रकाशित सूची पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि आपकी परिस्थितियां नहीं बदल जाती। निर्वाचक रजिस्ट्रार समय-समय पर इस बात की पुष्टि करने के लिए लिखेंगे कि आपकी परिस्थितियां अभी भी वही हैं। नामांकन अपडेट (नवीनीकरण) अभियानों के दौरान आपसे अपने नामांकन ब्यौरे की जाँच करने और अगर जरूरत हुई तो, उसमें संशोधन करने के लिए भी कहा जाएगा।

अगर मेरी परिस्थितियां बदल जाती हैं तो?

आपकी परिस्थितियों में अगर परिवर्तन आ जाता है, तो आप निर्वाचकों के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अवश्य सूचित करें।

अगर मेरे निजी ब्यौरे में परिवर्तन आ जाता है तो?

अगर आपके किसी भी व्यक्तिगत नामांकन ब्यौरे में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि नाम, पता, या व्यवसाय, तो 'वोट डालने के लिएः आवेदन' फार्म को भर कर अपने निर्वाचक रजिस्ट्रार को सूचित करें। निर्वाचक रजिस्ट्रार लिखित रूप से आपको सूचित करेंगे कि उन्होंने परिवर्तन कर दिए हैं। आप अगर अपने निर्वाचक रजिस्ट्रार को किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना भूल जाते हैं, तो आपके नाम को सूची में से हटा दिया जाएगा।

मतदान

मेरा नाम जब प्रकाशित सूची में न हो तो में कैसे वोट डाल सकता/सकती हूँ?

क्योंकि मतदान के दिन आपका नाम संसदीय मुद्रित निर्वाचक सूची में प्रकट नहीं होगा, इसलिए आपको 'स्पेशल डिक्लेरेशन वोट (विशेष घोषणा वोट)' डालना पड़ेगा। ये मतदान वाले दिन से पहले या मतदान वाले दिन किसी भी मतदान-क्षेत्र से आपके निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) से उपलब्ध होते हैं।

लोकल काउंसिल (स्थानीय परिषद) और जिला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों में वोट डालने के लिए आपको अपनी स्थानीय परिषद के स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ेगा कि आपको एक 'स्पेशल डिक्लेरेशन वोट' जारी किया जाए।

अतिरिक्त जानकारी

मुझे अधिक जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है?

मतदान के लिए नामांकन के बारे में अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैः

- ❑ हमारी वेबसाइट पर जाकर - www.elections.org.nz
- ❑ 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर मुफ्त फोन करके
- ❑ पुस्तिकाओं को पढ़ कर

- वोट डालने के लिए आवेदन के बारे में आपके जानने योग्य जरूरी बातें✸
- आपके 18 साल के होने से पहले वोट डालने के लिए आवेदन✸
- एक न्यूज़ीलेंड माआरी के रूप में वोट डालने के लिए आवेदन✸ (यह पुस्तिका केवल अंग्रेजी और माओरी में उपलब्ध है।)

✸ पोस्टशॉप्स या रजिस्ट्रार्स ऑफ इलेक्टोर्स ऑफिस से उपलब्ध

हम आशा करते हैं कि इसने अप्रकाशित सूची के बारे में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

इस पुस्तिका को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।

क्या यह जानकारी मुझे अन्य भाषाओं में मिल सकती है?

हमारी वेबसाइट पर यह पुस्तिका कई भाषाओं में उपलब्ध है।

Electoral Enrolment Centre
New Zealand Post Limited
P O Box 190
Wellington 6140

फोनः 0800 ENROL NOW
(0800 36 76 56)

फैक्सः (04) 801 0709

ईमेलः enrol@elections.org.nz